# राजस्थान शहरी फूटपाथ व्यवसायी (आजीविका कि सुरक्षा और फूटपाथ व्यवसाय नियमन) बिल 2010 पर सुझाव

**शहरी विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान शहरी फूटपाथ व्यवसायी (आजीविका कि सुरक्षा और फूटपाथ व्यवसाय नियमन) बिल 2010' बनाया गया है | यह जानकारी रखना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गेंदा राम बनाम दिल्ली नगर निगम के विवाद में सभी राज्य सरकारों को 30 जून 2011 तक फूटपाथ व्यवसायियों के आजीविका के संरक्षण हेतू विधेयक बनाने का निर्णय दिया गया है जिसका पालन अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है |**

**यह खेद का विषय है कि शहरी विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये 'राजस्थान शहरी फूटपाथ व्यवसायी (आजीविका कि सुरक्षा और फूटपाथ व्यवसाय नियमन) बिल 2010' में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है जो भारत सरकार द्वारा बनाए गये राष्ट्रीय फूटपाथ नीति 2004 व 2009 के महत्वपूर्ण अंग है | कई ऐसे अहम् मुद्दे जो फूटपाथ व्यवसायियों का संरक्षण करने हेतू अति आवश्यक है परन्तु वे राज्य विधेयक में नहीं है परिणामतः ये उच्चतम न्यायालय के आदेश को सही मायने में पालन करने में उपयोगी नहीं होगा |**

**संछिप्त रूप में वे मुद्दे जो राज्य विधेयक में सम्मिलित किये जाने चाहिए वे निम्न है :**

1. **<u>फूटपाथ व्यवसाय हेतू 2% स्थान:</u> असंगठित छेत्र में उधम्मिता के अध्ययन हेतू भारत सरकार द्वारा बनाए गये कमीशन के रिपोर्ट में तथा राष्ट्रीय नीति 2009 में फूटपाथ व्यवसायियों को शहरी आबादी का 2% माना गया है | माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने पूर्व के फैसलों में स्थान आवंटन हेतू इसे ही आधार माना है | अतः शहरी स्थान नियोजन में फूटपाथ व्यवसायियों के लिए 2% स्थान का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है |**

2. **<u>प्राकृतिक बाजार का संयोजन:</u> राष्ट्रीय नीति 2009 में प्रावधान है कि फूटपाथ व्यवसायियों के लिए योजना निर्माण व क्रियान्वयन में प्राकृतिक बाजारों को सम्मिलित किया जाए जो कि राज्य विधेयक में नहीं है | वर्तमान के प्राकृतिक बाजारों को वर्तमान स्वरुप में आने में अनेको साल लगे है जो कि मांग एवं पूर्ति तथा अन्य घटकों का परिणाम है | उदाहरण हेतू हम फूटपाथ व्यवसायियों को मन्दिर के पास पूजा कि सामग्री, रिहायशी कालोनियों में फल-सब्जी व रोजमर्रा के जरूरतों के सामान तथा कार्यालयों के पास खाने पिने की सामग्री बेचते हुए पते है जिसकी वहाँ जरुरत है | फूटपाथ व्यवसायियों को ऐसे स्थानों से हटाना व बसाना माँग व पूर्ति के नियम के खिलाफ होगा, आर्थिक तारतम्यता को व्यव्धित करेगा तथा शहर में अराजकता के माहौल का निर्माण करेगा |**

3. **<u>वर्तमान फूटपाथ व्यवसायियों को व्यवस्थित करना व नए व्यवसायियों हेतू प्रावधान:</u> फूटपाथ व्यवसायियों के आजीविका की सुरक्षा हेतू यह बहुत आवश्यक है की वर्तमान के**

**फूटपाथ व्यवसायियों का व्यवस्थित किया जाये साथ ही नए व्यवसायियों हेतू भी प्रावधान किया जाये अन्यथा ऐसे विधेयक कभी अपने सही उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे | राष्ट्रीय नीति 2009 में ऐसे प्रावधान है जबकि राज्य विधेयक में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है | शहरीकरण के कारण शहरी आबादी व छेत्र प्रति दिन बढती जा रही है ऐसे में शहरी गरीबो को सस्ती सुविधाए उपलब्ध करने हेतू ऐसे प्रावधानों का होना बहुत आवश्यक है |**

4. **<u>सामान का जब्त किया जाना:</u> नगर निगमों द्वारा फूटपाथ व्यवसायियों के सामान तथा उपकरण को जब्त किया जाना आम बात है | सामान वापस पाने के लिए समयबद्ध व सुनिश्चित प्रक्रिया न होने के कारण फूटपाथ व्यवसायी को रोजी-रोटी हेतू भटकना पड़ता है | राष्ट्रीय नीति 2009 सामान जब्त करने की स्थिति को अंतिम उपाय का प्रावधान करता है जबकि राज्य विधेयक ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता है | यह विडम्बना ही है की अमीरों द्वारा नियमों के उलंघन पर केवल जुर्माना का प्रावधान होता है परन्तु गरीबों से उनके आजीविका का साधन ही छीन लिया जाता है | सामान जब्ती के वर्तमान व्यवस्था को रोकने हेतू राष्ट्रीय नीति 2009 के प्रावधान को सम्मिलत करना होगा |**

5. **<u>स्थान व होलडिंग कैपासिटी का निर्धारण:</u> राज्य नीति के अनुछेद 9 (j) व (k) वेंडिंग जोन में फूटपाथ व्यवसायियों के संख्यात्मक निर्धारण के सम्बन्ध में है | इस अनुछेद का क्रियान्वयन बहुत ही कठिन है क्योंकि किसी स्थान की उपयोगिता तथा उसका प्रबंधन विभिन्न समय व स्थान पर भिन्न हो सकता है | स्थान व होलडिंग कैपासिटी के निर्धारण में अत्याधुनिक तकनीक तथा शहरों में उपयोग की जानेवाले उपायों को अपनाने हेतू प्रावधान होना जरुरी है |**

6. **<u>वेंडिंग जोन का निर्धारण:</u> राज्य विधेयक का अनुछेद 9(L) वेंडिंग ज़ोन का निर्हरण तथा स्थान के चिन्हीकरण के लिए है | ऐसा देखा गया है की नगर निगम लगभग पुरे शहर को ही नॉन वेंडिंग ज़ोन मान लेती है जो की राष्ट्रीय नीति 2009 विरुद्ध है | शहर के केवल कुछ ही अतिसवेदंशील छेत्र को नॉन वेडिंग ज़ोन के परिधी में लाना चाहिए तथा अन्य सभी छेत्र वेंडिंग ज़ोन माना जाना चाहिए | आवश्यकता पड़ने पर वेंडिंग ज़ोन में भी कुछ प्रतिबन्ध लगाकर प्रतिबंधित वेंडिंग ज़ोन बनाया जा सकता है | चूँकि फूटपाथ व्यवसायी आम नागरिकों के सुविधा में वृद्धि करते है अतः किसी भी छेत्र को नॉन वेंडिंग ज़ोन घोषित करना अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करना चाहिए न की प्रथम उपाय |**

7. **<u>वार्षिक प्रतिवेदन का मुद्रण:</u> राज्य विधेयक के अनुछेद 10 में यह प्रावधान है की टाउन वेंडिंग कमेटी वार्षिक वित्तिय लेखा-जोखा का निर्माण व मुद्रण करेगा | विधेयक के प्रावधानों का सही पालन तथा सर्वश्रेष्ठ तरीकों को का आदान प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है की टाउन वेंडिंग कमेटी वार्षिक वित्तिय लेखा-जोखा के साथ ही विवरणात्मक प्रगति प्रतिवेदन का भी निर्माण व मुद्रण करे |**